



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ज्येष्ठ 3, 1940

No. 336]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/JYAISTHA 3, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2018

सा.का.नि. 478(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, वरिष्ठ निजी सचिव (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2012 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः —

- (1) इन नियमों को गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, वरिष्ठ निजी सचिव (समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।
- (2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, वरिष्ठ निजी सचिव (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2012 (इन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, नामतः —

“2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल — पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।”
- उक्त नियमों में, अनुसूची में, —

(क) स्तंभ (4) में शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, नामतः —

“ वेतन मैट्रिक्स में लेवल
(4)
लेवल — 8 (रु. 47600—151100/—) ;

(ख) स्तंभ (11) में, —

- (1) उप शीर्षक “ प्रोन्नति ” के अंतर्गत, “ वेतनबैंड -2, 9300-34800 रु० के वेतनमान में 4600 रु. के ग्रेड वेतन सहित “भाबदों, अंकों और वर्णों के स्थान पर” लेवल-7 (रु. 44900-142400/-)” शब्दों, अंकों और वर्णों को रखा जाएगा।
- (2) उप शीर्षक “प्रतिनियुक्ति” के अंतर्गत, मद (ii) में, “9300-34800 रु० के वेतनमान में वेतन बैंड-2, जमा 4600 रु. ग्रेड वेतन “शब्दों, अंकों और वर्णों के स्थान पर “लेवल-7 (रु. 44900-142400/-)” शब्दों, अंकों और वर्णों को रखा जाएगा।

[फा. सं. 1-12014/43/2017-एनसीबी-II]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 22 अगस्त, 2012 को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 645 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2018

G.S.R. 478(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, Senior Private Secretary (Group ‘B’ posts) Recruitment Rule, 2012 namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, Senior Private Secretary (Group ‘B’ posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, Senior Private Secretary (Group ‘B’ posts) Recruitment Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

“2. Number of post, classification and level in the pay matrix,- The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column(2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”.

3. In the said rules, in the Schedule,-

(A) In column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“Level in the pay matrix
(4)
Level -8 (Rs.47600-151100/-)”;;

(B) In column (11),-

- (i) under sub-heading “Promotion”, for the words, figures and letters “Pay Band-2 in the Pay Scale of Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4600“, the words, figures and letters “Level-7 (Rs.44900-142400/-)” shall be substituted;
- (ii) under Sub-heading “Deputation”, in item (ii), for the words, figures and letters “Pay Band-2 in the Pay Scale of Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4600“, the words, figures and letters “Level-7 (Rs. 44900-142400/-)” shall be substituted.

[F. No. I-12014/43/2017-NCB-II]

MUKESH MITTAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 645(E), dated the 22nd August, 2012.